अनुसूची घ —फारम स०—

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, घ॰ घ का नियम घ॰)

आदेश पत्रक — ता० ....से...

........तक

जिला..., स० ...., सन् घ॰ ....

....

केस का प्रकार...

....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख घ	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर ह	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख—सहित f
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **आंगनवाड़ी अपील वाद संख्याः 105/2013** अशा रानी —— अपीलार्थी वनाम राज्य एवं अन्य ——— रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण —:आदेशः— प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.13 ऑगनवाडी वाद संख्या 36/10 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोंडेन्ट दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि अपीलार्थी/आवेदिका अशा रानी पति नवीन कुमार साकिन बखरी, थाना सौर बाजार ,जिला—सहरसा को ऑगनवाड़ी वाद संख्या 36/10 को पारित आदेश के आलोक में चयन मुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि उनका चयन विभागीय निर्देशिका 2006 के अनुरूप ऑगनवाड़ी केन्द्र बखरी, मेहता टोला केन्द्र संख्या 143 पंचायत, सहुरिया पश्चिमी ,परियोजना कार्यालय ,सौरबाजार जिला सहरसा के ऑगनबाडी सेविका के पद हेतु आमसभा दिनांक 27.04.2007 को चयन समिति के द्वारा किया गया व चयनोपरांत अपीलार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर योगदान देकर केन्द्र को कियाशील कर कार्यरत हुई । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रतिवादी /विपक्षी जो कमांक 4 पर है फूलकुमारी द्वारा गलत तथ्य के आधार पर मानीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 13122/07 दायर की जिसमें न्यायालय द्वारा वाद को निष्पादित करते हुए विपक्षी श्रीमति फूलकुमारी को जिला पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष वाद दायर करने संबधी आदेश परित किया गया। उक्त आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में वाद संख्या 36/10 दायर किया गया। उक्त वाद मे जिला पदाधिकारी ,सहरसा द्वारा तथ्यानुरूप विचार नहीं किया गया है । रूटीन मैनर में मार्ग निर्देशिका के निहित प्रावधानों के विपरीत गैर तार्किक आदेश पारित	

में मार्ग निर्देशिका के निहित प्रावधानों के विपरीत गैर तार्किक आदेश पारित करते हुए आवेदिका को चयन मुक्त कर दिया। जबकि निम्न न्यायालय के आदेश पत्र के कंडिका 6 के अनुरूप विपक्षी सहायिका पद हेतु अपना आवेदन समर्पित की थी। जो आम सभा के मेधा सूची के अवलोकन से स्पष्ट है वो आदेश के अंतिम कंडिका के अनुरूप आवेदिका को सेविका के पद से चयनमुक्त करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को यह निर्देशित किया गया कि उक्त केन्द्र पर सहायिका पद हेतु चयन की प्रकिया नये सिरे से विभागीय मार्गनिर्देशिका के अनुरूप प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश बिल्कूल अस्पष्ट, गैरतार्किक व मुखर आदेश नहीं है। बल्कि पक्षपातपूर्ण एवं दोषपूर्ण व गैर न्यायायिक बतलाते है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि केन्द्र मेहता टोला, बखरी के सेविका पद हेतु चयन प्रकिया वर्ष 2007 में प्रारम्भ की गयी। सर्व प्रथम मार्गदर्शिका 2006 के कंडिका 2 के अनुरूप मैपिंग पंजी निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तैयार किया गया जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौर बाजार महिला पर्यवेक्षिका, मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा अनुमोदित बतलाते है । उक्त मैपिंग पंजी के क्रमांक 73 पर अपीलार्थी अन्ना रानी के पति नवीन साह का नाम दर्ज है, जबकि विपक्षी फूलकुमारी के परिवार के किसी भी सदस्यों का नाम दर्ज नहीं है। विपक्षी दूसरे पोषक क्षेत्र की रहने वाली थी, इसलिए उनका या उनके परिवार के किसी भी सदस्यों का नाम उक्त केन्द के मैपिंग पंजी में दर्ज नहीं किया गया है ।

अपीलार्थीके विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विपक्षी द्वारा मेहता टोला केन्द्र पर मात्र सहायिका पद हेतु आवेदन दिया गया था, जबकि साहु टोला केन्द्र पर सेविका/सहायिका पद हेतु आवेदन दिया था। विपक्षी गलत मंशा व दोहरा लाभ लेने हेतु उक्त दोनों ही केन्द्र से अपना आवेदन सेविका/सहायिका पद हेतु दाखिल की यह बात को शिकायत पत्र में निम्न न्यायालय से छिपा ली। चूकि विपक्षी का चयन सेविका पद पर साहु टोला केन्द्र पर नहीं हुआ तो मेहता टोला में सहायिका पद पर चयन हेतु दबाब बनाने लगी। लेकिन मेहता टोला पर हरिजन अभ्यर्थी के मौजूद रहने के कारण उक्त सहायिका के रूप में मालती देवी पति सुदीन राम का चयन किया गया। चयनित सहायिका मालती देवी पर गलत व मनमाने तौर से गलत अभियोग लगाकर शिकायत दाखिल करने लगी वो आरोप लगाई की वह मेहता टोला, बखरी ऑगनवाडी केन्द्र के लिए सेविका पद के लिए आवेदन दी थी, लेकिन उसे प्राप्ति रसीद नहीं दिया गया जो सरासर गलत व बेबुनियाद है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा उपर वर्णित तथ्यों को बिल्कूल नजर अंदाज करते हुए महज इस आधार पर अपीलाथी को चयन मुक्त किया गया कि चयन संबधी मूल अभिलख, मैपिंग पजी एवं कार्यवाही पजी उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि उक्त संदर्भ में मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरूद्व विपक्षी फूलकुमार द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के यहॉ नालसी वाद संख्या 631सी /07 दायर की जो थाना भेजा गया वो सौर बाजा थाना कांड सं0 138/07 दर्ज किया गया। जिसमें अनुसंधान कर्त्ता द्वारा सारा कागजात मॉग किया गया जो अनुसंधानकर्त्ता द्वारा पंचायत कार्यालय से लिया गया तथा रिसिभिंग दिया गया। वह कागजात आज तक अनुसेंधान कर्त्ता द्वारा पंचायत को वापस नही किया गया, इस वजह से न्यायालय के समक्ष नहीं भेजा गया जिस तथ्य को निम्न न्यायालय नंजरअंदाज करते हुए गलत आदेश पारित किये जो खारिज

के काबिल है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष बिल्कूल ही गलत व निराधार वाद दायर किया गया, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा वगैर न्यायिक विवेचना किये हुए मार्ग निर्देशिका के निहित प्रावधानों के विपरीत आम सभा सर्वसम्मति से चयनित अपीलार्थी को ऑगनवाड़ी सेविका के पद से चयन मुक्त कर दिया गया जबकि अपीलार्थी का चयन विधिवत व बिल्कूल सही है।

रेस्पोण्डेन्ट द्वारा इस न्यायालय में न ही लिखित जबाब दिया गया है और न ही लिखित बहस । रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता निम्न न्यायालय के समक्ष कथन किए हैं कि फुल कुमारी देवी द्वारा आंगन बाड़ी सेविका पद हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 143 मेहता टोला, ग्राम – बखरी, ग्राम पंचायत– सहुरिया पश्चिम, थाना – सौरबाजार हेतु आवेदन दाखिल की थी। वार्ड संख्या 11 एवं 12 को मिलाकर केन्द्र संख्या 143 मेहता टोला तैयार किया गया। फुल कुमारी द्वारा दिनाक 14.03.07 को आवेदन समर्पित किया गया था। वे मध्यमा के समकक्ष मैट्रिक उत्तीर्ण हैं। वर्ष 2003 में मध्यमा में द्वितीय श्रेणी में 45.85 प्रतिशत अंक प्राप्त की है। उक्त केन्द्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका पद हेतु समर्पित आवेदन को ग्राम पंचायत सचिव एवं मुखिया के द्वारा आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद नहीं दिया गया।

आगे निम्न न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किए है कि दिनांक 27.04.07 को आम सभा हुई। फुलकुमारी का आवेदन रहने के बाद भी उनके आवेदन पत्र को मुखिया/ पंचायत सचिव के द्वारा फुलकुमारी के हस्ताक्षर को गलत बताया गया। फूलकुमारी का आवदेन पत्र सहायिका पद हेतु उक्त केन्द्र पर समर्पित किया गया जबकि उक्त पद हेतु फूलकुमारी ने आवेदन नहीं दिया था ।आगे कथन किये है कि ऑगनवाड़ी सेविका पद हेतु विपक्षी आशा रानी का चयन सहायिका पोषक क्षेत्र के बाहर की अभ्यर्थी थी वो बिहार विधालय परीक्षा समिति से 45.28 प्रतिशत अंक प्राव्त की वो प्रतिपक्षी का धर मेहता टोला में नहीं है । फूलकुमारी ने प्रतिपक्षी आशा रानी के चयन को अवैध करार दिया एवं चयन को रद्व करने की अपील की थी तथा स्वयं को अधिक अंक एवं पोषक क्षेत्र के अंदर रहने के कारण सहायिका पद पर चयन करने की अपील की थी ।

उभय पक्ष को सुनने एवं विद्वान अधिवक्ता के द्वारा समर्पित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या 143 पर चयन में गंभीर अनियमितता बरती गयी थी मुख्य रूप से दिनांक 27.04.2007 को निर्धारित ग्राम आमसभा मार्गदर्शिका 2006 के प्रावधानों के तहत बाहुल्य वर्ग से किये जाना है । निम्न न्यायालय के आदेश एवं अभिलेख के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि फूलकुमारी प्रतिपक्षी द्वारा दो ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए आवेदन दिया गया था एवं इस बात की पुष्टि होती है कि साक्ष्य के मिटाने के उदेश्य से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय एवं ग्राम पंचाायत सहुरिया पश्चिम के अभिलेख के साथ छेड़–छाड की गई है। अतः ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2013 द्वारा अपीलार्थी आशारानी के चयन मुक्ति का आदेश विधि सम्मत है। स्पष्टतया निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया गया जिससे प्रतिवादी फूलकुमारी के चयन का रास्ता साफ हुआ । अतः निम्न न्यायालय के आदेश अस्पष्ट रहने के कारण एवं मूल अभिलेख गायब होने एवं छोड़–छाड़ होने के कारण उन तथ्यों पर निर्णय लेने के पुनः विवाद उत्पन्न होना समभावी है । अतः जिला पदाधिकारी ,सहरसा द्वारा 29.01.2013 द्वारा अपीलार्थी आशारानी के सेविका पद पर चयन मुक्ति के रद् करने के आदेश

	को बरकरार रखा जाता है एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या 143 मेहता टोला ,बखरी में सेविका एवं सहायिका पद हेतु नये सिरे से मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आधार पर पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए चयन करने का आदेश दिया जाता है । इसके साथ वाद की कर्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा	